जिला कोषागार, खगड़िया

पत्रांक- 63 / कोषा0, दिनांक-26/02/2019

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
खगड़िया ।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
खगड़िया ।

विषय :- माह फरवरी एवं मार्च 2019 में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।

प्रसंग :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या—एम—4—09/2014 **1744**/वि0, पटना—15 दिनांक 18.02.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या—एम—4—09/2014 **1744**/वि0, पटना—15, दिनांक 18.02.2019 द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम—176 के प्रावधानानुसार निदेश दिया गया है। वित्तीय अनुपालन करने हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित बिन्दूओं को पालन करना आवश्यक है :—

(1) सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्त्तमान में उपलब्ध बजट उपबंध/आवंटन, के अधीन सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर दिनांक 28.02.2019 तक निश्चित रूप से संबंधित कोषागारों को उपलब्ध करायेंगे ।

(2) विभिन्न मदों में, जिसके लिए राशि की उपलब्धता, तृतीय अनुपूरक के माध्यम से किया गया हो या जिस विपत्र से संबंधित अभिश्रव दिनांक 25.02.2019 या उसके पश्चात् प्राप्त हुई है, से संबंधित विपत्र दिनांक 25.03.2019 तक कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे ।

(3) विभिन्न मदों, में नियमानुसार उतनी ही राशि की निकासी की जाय, जिसका दिनांक 31.03.2019 तक व्यय करना आवश्यक हो।

(4) प्राप्ति (Receipt) से संबंधित चालन 31 मार्च तक कोषागार के माध्यम से बैंक में स्वीकार किये जायेंगे । तदनुसार प्राप्ति से संबंधित बैंक स्क्रॉल एवं चालान की प्रविष्टी प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन कोषागार में की जायेगी जिससे कैश बैलेनस की स्थिति सॉफ्टवेयर से प्राप्त हो सके ।

(5) कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित उक्त कंडिका—1 एवं 2 में वर्णित समय सीमा निम्नलिखित विषय यथा— आपदा से संबंधित व्यय, चुनाव, माननीय न्यायालय के आदेश, राज्यपाल सचिवालय, विधान मंडल, जयघोष, विधि व्यवस्था, सभी प्रकार के वेतन एवं पेंशन से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होगे ।

जिला एवं विज्ञाण पदाधिकारी (NIC), खगड़िया, समस्त सूचना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को आपने माध्यम से सूचित करायें ।

अनुलग्नकः— प्रधान सचिव, वित्त विभाग,
बिहार सरकार के पत्र संख्या—
एम—4—09/2014 1744/वि0,
पटना—15 दिनांक 18.02.2019

विश्वासभाजन

25/2/19

जिलाधिकारी,
खगड़िया

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार

पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र सं०-एम-4-09/2014.......1744......./वि०

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक- 18-02-19

विषयः- माह फरवरी एवं मार्च 2019 में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।

महाशय,

वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के दावों से संबंधित कोषागार में प्रस्तुत होने वाले विपत्र सही समय पर कोषागार में प्रस्तुत हो ताकि उसकी नियमानुसार जाँच होने के उपरांत पारित किया जा सके ।

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 के प्रावधानानुसार कोषागार से राशि की निकासी खर्च जरूरी होने पर ही किया जाना चाहिए एवं नियम-177 के अनुसार बजट में उपबंधित राशि को व्ययगत होने से बचाने हेतु अनावश्यक राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए । यदि निकासी की गई अग्रिम राशि 31 मार्च तक व्यय नहीं होने वाली है तो उसे 25 मार्च तक कोषागार में वापस जमा कराना सुनिश्चित किया जाना है ।

ऐसा देखा जाता है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में पूर्व के दावों से संबंधित बकाया विपत्र, अन्य आकस्मिक विपत्र एवं स्कीम से संबंधित विपत्र कोषागार में प्रस्तुत किये जाते हैं । इस कारण वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों यथा फरवरी एवं मार्च में कोषागार में विपत्रों के समयक जाँच एवं उसे पारित करने में कठिनाईयाँ होती है, जिससे अनियमित निकासी की संभावना भी हो सकती है ।

तदनुसार, कोषागार में विपत्र उपस्थापित करने में वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित बिन्दूओं को पालन करना आवश्यक हैं:-

(1) सभी विभाग/कार्यालय प्रधान तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वर्तमान में उपलब्ध बजट उपबंध/आवंटन, के अधीन सभी तरह के विपत्र नियमानुसार तैयार कर दिनांक-28.02.2019 तक निश्चित रूप से संबंधित कोषागारों को उपलब्ध करायेंगे ।

(2) विभिन्न मदों में, जिसके लिए राशि की उपलब्धता, तृतीय अनुपूरक के माध्यम से किया गया हो या जिस विपत्र से संबंधित अभिश्रव दिनांक-25.02.2019 या उसके पश्चात प्राप्त हुई है, से संबंधित विपत्र दिनांक-25.03.2019 तक कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे ।

(3) विभिन्न मदों में, नियमानुसार उतनी ही राशि की निकासी की जाए, जिसका दिनांक-31.03.2019 तक व्यय करना आवश्यक हो ।

(4) प्राप्ति (Receipt) से संबंधित चालान 31 मार्च तक कोषागार के माध्यम से बैंक में स्वीकार किये जायेंगें । तदनुसार प्राप्ति से संबंधित बैंक स्क्रॉल एवं चालान की प्रविष्टी प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन कोषागार में की जायेगी जिससे कैश बैलेन्स की स्थिति सॉफ्टवेयर से प्राप्त हो सके ।

(5) कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने संबंधित उक्त कंडिका-1 एवं 2 में वर्णित समय सीमा निम्नलिखित विषय यथा-आपदा से संबंधित व्यय, चुनाव, माननीय न्यायालय के आदेश, राज्यपाल सचिवालय, विधान मंडल, जयघोष, विधि व्यवस्था, सभी प्रकार के वेतन एवं पेंशन से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होंगे ।

विश्वासभाजन,

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव